रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 467] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 8, 2000/भाद्र 17, 1922
No. 467] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 8, 2000/BHADRA 17, 1922

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2000

सा.का.नि. 710(अ).—केन्द्रीय सरकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 22 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में,—

(क) नियम 6 में,—

(i) उपनियम (1) में खंड (ढ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ण) अनिर्वन्धित लोक प्रदर्शन के लिए उचित नहीं है।

स्पष्टीकरण :—इस खंड के प्रयोजन के लिए "अनिर्वन्धित लोक प्रदर्शन" पद का वही अर्थ होगा जो उसका चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) में है।";

(ii) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा अर्थात् :—

"(3) कोई केबल आपरेटर अपनी केबल सेवा में ऐसा कोई कार्यक्रम, जिसकी बाबत प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1972 (1972 का 14) के अधीन प्रतिलिप्यधिकार अस्तित्व में है, तब तक नहीं चलाएगा या सम्मिलित नहीं करेगा जब तक कि ऐसे कार्यक्रम की बाबत उस अधिनियम के अधीन प्रतिलिप्यधिकार के स्वामियों ने उसे अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं कर दी है।"

(ख) नियम 7 में,—

(i) उपनियम (2) में खंड (7) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(8) निम्नलिखित का निर्माण विक्रय या उपभोग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संवर्धित करता है—

(अ) सिगरेट, तम्बाकू उत्पाद, वाइन, अल्कोहल, लिकर या अन्य मादक पदार्थ

(आ) शिशु दुग्ध प्रतिस्थापक, दूध की बोतल या शिशु आहार।"

(ii) उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3क) किसी भी विज्ञापन में ऐसे निर्देश अंतर्विष्ट नहीं होंगे जिनसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है।"।

[फा.सं. 9(9)97- पी.बी.सी.]

आर.सी. मिश्रा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम सा.का.नि. 729(अ), तारीख 29 सितम्बर, 1994 द्वारा प्रकाशित हुए थे और तत्पश्चात् :—

(i) सा.का.नि. 453(अ), तारीख 29 मई, 1995

(ii) सा.का.नि. 820(अ), तारीख 28 दिसम्बर, 1995

(iii) सा.का.नि. 459(अ), तारीख 8 अक्टूबर, 1996 और

(iv) सा.का.नि. 597(अ), तारीख 20 अगस्त, 1999 द्वारा संशोधित किये गये।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2000

G.S.R. 710(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 22 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cable Television Networks Rules, 1994, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cable Television Networks (Amendment) Rules, 2000

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. In the Cable Television Networks Rules, 1994,—

(a) in rule 6,—

(i) in sub-rule (1), after clause (n), the following clause shall be inserted, namely :—

'(o) is not suitable for unrestricted public exhibition.

Explanation—For the purpose of this clause, the expression 'unrestricted public exhibition" shall have the same meaning as assigned to it in the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952)';

(ii) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(3) No cable operator shall carry or include in his cable service any programme in respect of which copyright subsists under the Copyright Act, 1972 (14 of 1972) unless he has been granted a licence by owners of copyright under that Act in respect of such programme ",

(b) in rule 7,—

(i) in sub-rule (2), after clause (vii), the following clause shall be inserted, namely :—

"(viii) promotes directly or indirectly production, sale or consumption of—

(A) cigarettes, tobacco products, wine, alcohol, liquor or other intoxicants;

(B) infant milk substitutes, feeding bottle or infant foods ",

(ii) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(3A) No advertisement shall contain references which hurt religious sentiments ".

[F No 9/9/97-PBC]

R C MISHRA, Jt Secy.

Foot note.—The principal rules were published vide G S R 729(E), dated the 29th September, 1994 and subsequently amended vide—

(i) G S R 453(E), dated the 29th May, 1995,

(ii) G S R 820(E), dated the 28th December, 1995,

(iii) G S R 459(E), dated the 8th October, 1996, and

(iv) G S R 597(E), dated the 20th August, 1999

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054